

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प.25(2)(1)विविध/अभि/2025

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

आदेश

(A). राजस्थान अभियोजन सेवा को पुर्नगठित करते हुए, इस विभाग द्वारा वित्त विभाग की आई डी संख्या 1023065 दिनांक 27.09.2023 के सन्दर्भ में 16(19)(1)विविध/अभि/2020 जयपुर दिनांक 29.09.2023 को आदेश जारी किये गये थे, जिन्हें वित्त विभाग की आई डी संख्या 182500691 दिनांक 06.06.2025 के क्रम में निम्नानुसार संशोधित करते हुए उक्त आदेश के क्रम संख्या 4 सहायक निदेशक अभियोजन व क्रम संख्या 5 अभियोजन अधिकारी के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं—

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या	उक्त पद न्यायालय में विलोपित/सृजित किये गये है
4.	सहायक निदेशक अभियोजन एल-15 (100% पदोन्नति)	109	96	विलोपित पद 1- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट PCPNDT Courts (07) 2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट Railway Courts (06)
5.	अभियोजन अधिकारी एल-12 (100% पदोन्नति)	301	314	सृजित पद 1. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट PCPNDT Courts (07) 2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट Railway Courts (06)

(B). नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के बिन्दु संख्या 59 (II) के सन्दर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग की आई डी संख्या 182500691 दिनांक 06.06.2025 के क्रम में निम्नानुसार पदों का सृजन किया जाता है:-

क्र. स.	पदनाम	सृजित नवीन पदों की संख्या	विशिष्ट विवरण
1	संयुक्त निदेशक अभियोजन	02	अभियोजन निदेशालय में अपील संबंधी कार्य हेतु
2	सहायक निदेशक अभियोजन	44	प्रत्येक जिले में अपील का कार्य संपादित करेंगे तथा जिला मुख्यालयों पर जिला कलक्टर/पुलिस विभाग को परामर्श देंगे। ये जिला स्तर पर DDP कार्यालय में पदस्थापित होंगे।
योग		46	

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री (गृह), राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर।
10. पुलिस आयुक्त/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।

12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
13. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर/पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर।
16. सचिव, रेरा, राजस्थान, जयपुर।
17. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान।
18. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
19. समस्त अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
20. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
21. संस्थापन राजपत्रित / अराजपत्रित / ए.सी.आर. / पदोन्नति / लेखा / विधि शाखा, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
22. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
23. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)